



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172164

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 42146 वर्ष 2025

अनूप कुमार मनवानी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : वैभव सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव सिंह तथा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा विद्वान सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन/फास्ट कोर्ट, न्यायालय संख्या 1, आगरा द्वारा घरेलू हिंसा मुकदमा संख्या 98284 सन् 2024 (श्रीमती मोनिका बनाम अनूप कुमार मनवानी एवं अन्य), धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाना एत्माद्दौला, जनपद आगरा में पारित समन आदेश दिनांक 06.06.2024 को निरस्त करने तथा उपर्युक्त वाद संख्या 98284 सन् 2024 (श्रीमती मोनिका बनाम अनूप कुमार मनवानी एवं अन्य), धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, थाना एत्माद्दौला, जनपद आगरा की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 की ओर आकर्षित किया, जिसके द्वारा पक्षकारों के मध्य लंबित मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को संदर्भित किया गया था। मध्यस्थता रिपोर्ट अभिलेख पर है, जिसमें “मध्यस्थता पूर्ण हुई और समझौता संलग्न है” अंकित है। समझौता करार की मूल प्रति भी अभिलेख पर है, जिसमें पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के नियमों एवं शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। समझौता करार में यह भी उपबंध है कि यह पक्षकारों के मध्य आगे सहमति हुई है कि शेष राशि ₹7,00,000/- (केवल सात लाख रुपये) अनूप कुमार मनवानी (आवेदक-पति) द्वारा श्रीमती मोनिका उर्फ सोनम बुलचंदानी (प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2-पत्नी) को पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, एच.एम.ए. याचिका संख्या 1547 सन् 2026 (श्रीमती मोनिका उर्फ सोनम बुलचंदानी बनाम अनूप कुमार मनवानी) में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा के समक्ष दूसरे मोशन के समय भुगतान की जाएगी। पुनः, समझौता करार से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य मामलों के संबंध में सभी विवादों एवं मतभेदों का पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारण कर लिया गया है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को जारी रहने दिया जाता है तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं करते हैं और यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, उन्होंने प्रार्थना की है कि उपर्युक्त उल्लिखित आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष राशि के संबंध में कोई निर्देश जारी किया जाए।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, परबतभाई आहिर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस सी सी 641, मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एस सी सी 688** में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा **शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2013 (83) एससीसी 278]** में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा दिनांक 03.07.2026 को इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष पक्षकारों के मध्य हुए समझौते/करार को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि उपर्युक्त उल्लिखित मामले की कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
7. तदनुसार, विद्वान सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन/फास्ट कोर्ट, न्यायालय संख्या 1, आगरा द्वारा घरेलू हिंसा वाद संख्या 98284 सन् 2024 (श्रीमती मोनिका बनाम अनूप कुमार मनवानी एवं अन्य), धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, थाना एत्मादौला, जनपद आगरा में पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 06.06.2024 तथा उपर्युक्त वाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 98284 सन् 2024 (श्रीमती मोनिका बनाम अनूप कुमार मनवानी एवं अन्य), धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, थाना एत्माद्दौला, जनपद आगरा की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा **निरस्त** की जाती है।

8. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपर्युक्त उल्लिखित समझौता करार की नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 उस संबंध में विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I)

14 अगस्त, 2026

कशिफा